भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4794
दिनांक 20 मार्च, 2026 को उत्तर के लिए

पोषण 2.0 कार्यान्वयन और औद्योगिक श्रमिकों के बच्चों का कवरेज

4794. श्री वामसि कृष्णा गद्दाम:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पोषण 2.0 योजना के अंतर्गत वर्ष 2024-25 के दौरान तेलंगाना के पेद्दापल्ली जिले में संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या कितनी है तथा एनटीपीसी रामागुंडम तथा कोल इंडिया लिमिटेड के प्रचालन में कार्यरत परिवारों के कितने प्रतिशत बच्चे कवर किए गए हैं;

(ख) कोयला खनन क्षेत्रों में प्रवासी श्रमिकों के बच्चों में कुपोषण को दूर करने के लिए प्रदान किए गए पोषण संबंधी हस्तक्षेप, जिसमें पूरक पोषण में दैनिक कैलोरी और प्रोटीन सामग्री शामिल है;

(ग) पेड्डापल्ली जिले की औद्योगिक टाउनशिप में मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित करने के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है और मौजूदा केंद्रों को निर्धारित बुनियादी ढांचे के मानकों के अनुसार उन्नत करने की समय-सीमा क्या है;

(घ) खनन और औद्योगिक क्षेत्रों में बाल विकास कार्यक्रमों के लिए कोल इंडिया लिमिटेड और एनटीपीसी के साथ कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधियों के उपयोग हेतु समन्वय तंत्र का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कोल बेल्ट क्षेत्रों में आंगनवाड़ी केन्द्रों में आने वाले बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति का आकलन करने के लिए कौन-सी निगरानी प्रणाली लागू है तथा चिकित्सकीय कर्मियों द्वारा कितने अंतराल पर स्वास्थ्य जांच की जाती है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ङ): पोषण ट्रैकर पब्लिक डैशबोर्ड के अनुसार, तेलंगाना राज्य के पेद्दापल्ली जिले में वर्ष 2024-25 के दौरान संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या और आंगनवाड़ी केंद्रों में 0-6 वर्ष की आयु के पंजीकृत बच्चों का ब्यौरा लिंक: https://www.poshantracker.in/statistics पर उपलब्ध है।

मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0, पोषण सेवाओं को सुदृढ़ करने और कुपोषण की चुनौती का समाधान करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत चलाई जा रही एक सतत योजना है। दिशानिर्देशों के अनुसार, यह योजना देश के सभी पात्र लाभार्थियों के लिए खुली है, जिनमें 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं और किशोरियां (आकांक्षी जिलों और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में 14-18 वर्ष की आयु की) शामिल हैं।

इस मिशन के तहत, बच्चों (6 महीने से 6 वर्ष तक), गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में निहित पोषण मानदंडों के अनुसार पूरक पोषण प्रदान किया जाता है, जिसमें कुपोषित बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। एक सामान्य बच्चे को 6-12 महीनों के लिए 200 किलो कैलोरी और 8-10 ग्राम प्रोटीन; 1-3 वर्षों के लिए 400 किलो कैलोरी और 15-20 ग्राम प्रोटीन; और 3-6 वर्षों के लिए 400 किलो कैलोरी और 15-20 ग्राम प्रोटीन और साथ ही अनुशंसित 7 आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान किए जाते हैं। जबकि, एसएएम से पीड़ित बच्चे को 6-12 महीनों के लिए 400 किलो कैलोरी और 15-20 ग्राम प्रोटीन; 1-3 वर्षों के लिए 700 किलो कैलोरी और 25-30 ग्राम प्रोटीन; और 3-6 वर्षों के लिए 800 किलो कैलोरी और 25-30 ग्राम प्रोटीन, साथ ही अनुशंसित 7 आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान किए जाते हैं।

इसके अलावा, इस मिशन में सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों का प्रावधान है, जो पारंपरिक आंगनवाड़ी केंद्र का उन्नत और आधुनिक संस्करण है, जिसमें आधुनिक डिजिटल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बुनियादी ढांचा जैसे कि इंटरनेट/वाईफाई कनेक्टिविटी, एलईडी स्क्रीन, वॉटर प्यूरीफायर/आरओ मशीन लगाना और स्मार्ट शिक्षण सहायक उपकरण, ऑडियो-विजुअल सहायक उपकरण, बाल-अनुकूल शिक्षण उपकरण और कलाकृति (शैक्षिक पेंटिंग, बच्चों के लिए अभ्यास बोर्ड, सूचना बोर्ड), शामिल हैं। मिशन पोषण 2.0 के तहत 2 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों को पांच वर्षों में सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों के रूप में उन्नत करने की मंजूरी दी गई है। पेद्दापल्ली जिले में कुल 66 आंगनवाड़ी केंद्र उन्नयन के लिए आवंटित किए गए हैं और इन आंगनवाड़ी केंद्रों के उन्नयन के लिए कुल 39.60 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने हाल ही में जनवरी 2026 में सीएसआर पहलों के तहत संगठनों, व्यक्तियों और कॉरपोरेट्स के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करने के लिए 'पंखुड़ी' पोर्टल आरंभ किया है, जो तीन प्रमुख मिशनों अर्थात मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0, मिशन शक्ति, और मिशन वात्सल्य के अनुरूप गतिविधियों में सहायता करने के लिए सार्थक साझेदारी को सुगम बनाता है। यह विशिष्ट ऑनलाइन पोर्टल इन मिशनों के अंतर्गत विविध सेवाओं के साथ योगदान को जोड़ने के लिए एक सहज प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, जिससे महिलाओं और बच्चों के समग्र विकास को बढ़ावा और राष्ट्र निर्माण के साझा लक्ष्य में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहन मिलता है।

मंत्रालय ने आंगनवाड़ी केंद्रों की सभी गतिविधियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और लाभार्थियों की परिभाषित संकेतकों पर निगरानी और ट्रैकिंग के लिए 'पोषण ट्रैकर' नामक डिजिटल एप्लिकेशन आरंभ किया है। आंगनवाड़ी सेवाओं के लिए लगभग तत्समय (रीयल टाईम) आंकड़ें संग्रह करना आसान हो गया है। इस एप्लिकेशन ने मंत्रालय और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति सहित विभिन्न मापदंडों पर योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करने और आवश्यक सुधार करने में समर्थ बनाया है।

मिशन पोषण 2.0 के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों में प्रदान की जाने वाली छह सेवाओं में से तीन सेवाएं अर्थात् टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं, स्वास्थ्य से संबंधित हैं और एनएचएम एवं जन स्वास्थ्य अवसंरचना के माध्यम से प्रदान की जाती हैं।
